HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 2198/2025
In
S. B. Criminal Misc. Appeal No. 2810/2024

Sajid S/o Inas, Aged About 30 Years, R/o Dorakhi Beeva, Police Station Ferozpur Jhirka, District Nuh Mewaat, Haryana.
(At Present Confined In Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Pranita Pareek, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP with Mr. Navdeep Singh, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

01/05/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. (**389** दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. विद्वान विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 क्रम–03, जयपुर महानगर–प्रथम** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **15/2024** में पारित निर्णय **27.09.2024** के माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्त को धारा **363, 366, 376(3) सपठित धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. तथा धारा 3/4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012** के अपराध में अधिकतम **20** वर्ष के **कठोर** कारावास से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि पीड़िता की आयु के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, चिकित्सकीय दस्तावेज व

ओसिफिकेशन टेस्ट के आधार पर उसकी आयु 14 से 17 वर्ष के मध्य मानी गई है, इस संबंध में उनका निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद आयु में 2 से 3 वर्ष का अंतर हो सकता है, पीड़िता का अवयस्क होना प्रमाणित नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्त अधिकतम 20 वर्ष की सजा के मुकाबले करीब 02 वर्ष की सजा भुगत चुका है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, दोषसिद्धी हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील में अभियुक्त के सफल होने की पूर्ण संभावना है, अतः यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों व तर्कों पर विचार किया गया।

6. वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध अवयस्क पीड़िता के साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किये जाने का आरोप है। विचारण न्यायालय द्वारा पीड़िता की मौखिक साक्ष्य तथा अन्य परिस्थितिजन्य व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध व दण्डित किया गया है। जहां तक आयु में अंतर का प्रश्न है, संबंधित चिकित्सक द्वारा पहले ही 2 से 3 वर्ष का अंतर संभावित होना बताया है।

7. प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **साजिद पुत्र इनस** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /35